16/8/19 | ...नांक 16/8/19

बाहर

... दिनांक 6/9/19 को पेश हो।

22/8/19

अभि० वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली बरामद होकर आज पेश हुई। संक्षेप में वाकेयात इस प्रकार हैं कि आराजियात वर्णित परिशिष्ट खाता सं. 118 वाके ग्राम बालापुरा व परिशिष्ट (ब) खाता सं. 363 वाके ग्राम मेहरु तथा परिशिष्ट (स) खाता सं. 365 वाके ग्राम मेहरु तहसील टोडारायसिंह वादी व प्रतिवादीगण की पैत्रक एवं मौरुसी हैं। जो वादी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता रतनसिंह के जमाने की बनायी व बेलायी हुई है। रतनसिंह के दो पुत्र जयसिंह व रणजीतसिंह हुए। रणजीतसिंह के दो पुत्र जितेन्द्रसिंह, देवराजसिंह वादग्रस्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी नं. 1 का प्रत्येक का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज है। मौके पर वादी व प्रतिवादीगण इसी अनुसार काबिज काश्त हैं। सम्वत 2069-2072 की जो जमाबंदी खाता सं. 117 वादी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता रतनसिंह के नाम दर्ज थी। उसमें रतनसिंह के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज हुआ उसमें वादी व प्रतिवादी नं. 1 के बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया लेकिन इसके बाद जो परि० (अ) की आराजियात खाता सं. 118 जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 में अकेले प्रतिवादी नं. 1 का नाम दर्ज कर दिया गया व वादी का नाम दर्ज नहीं किया। इसके बाद प्रतिवादी नं. 1 ने उक्त आराजियात को न्यायालय आदेश से डिक्री व इजराय कराकर अपने दोनों पुत्रों प्रतिवादी नं. 2, 3 के नाम भी बराबर 2 दर्ज करवालिया जबकि उक्त परि० (अ) की आराजियात में वादी का 1/2, परि० (ब) (स) के समान 1/2 हिस्सा बनता है। जिसे वादी अपने नाम खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है तथा परिशिष्ट (ब) (स) की आराजियात में वादी का नाम रामसिंह दर्ज है जबकि वादी का सही नाम जयसिंह है। परि० (ब) (स) की आराजियात में वादी रामसिंह के बजाय जयसिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है। इसलिए वादी ने वाद घोषणा खातेदारी व

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

व इन्द्राज दुरुस्ती का पेश किया है

अत: दावा वादी डिक्री किया जाकर आरा० वर्णित पैरा० (अ) में वादी को हि०1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा पैरा० (ब)(स) की आराजियात में वादी का नाम रामसिंह के बजाय जयसिंह दुरुस्त फरमाया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल कराया जावे।

बाद वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गयी। जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल करवाया गया। प्रति० नं० 4 का जवाब भी पेश हुआ।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 खाता सं० 364 वाके ग्राम मेहरू प्रदर्श 1, खाता सं० 363 प्रदर्श 2, तथा वाके ग्राम बालापुरा खाता सं० 117 जमाबंदी सं० 2069 से 2072 ~~वाके~~ प्रदर्श 3, खाता सं० 118 जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 वाके ग्राम बालापुरा प्रदर्श 4, आधार कार्ड जयसिंह प्रदर्श 5A, सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र प्रदर्श 6A, अंक तालिका सैकण्डरी स्कूल प्रदर्श 7A, पेश किये। बयानात वादी जयसिंह, गवाह रामप्रसाद, गणेश के कराये।

बहस अभि० आमपक्ष सुनी गयी जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रही तथा निवेदन किया कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड प्रदर्श 5A, अंक तालिका प्रदर्श 6A, प्रदर्श 7A, एवं बयानात गवाहान से स्पष्ट जाहिर है कि वादी का सही नाम रामसिंह नहीं होकर जयसिंह है। जबकि वर्तमान रिकार्ड राजस्व, जमाबंदी प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श 3, प्रदर्श 4 में रामसिंह दर्ज है जिसे दुरुस्त किया जाकर रामसिंह के स्थान पर जयसिंह दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है। नकल जमाबंदी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	कब्जा व तारीख आमदन के इस हुक्म की तामील में करी गयी

खाता संख्या 117 सम्वत् 2069-2072 प्रदर्श 3 में आरा० रतनसिंह पुत्र गाडसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज थी। खातेदार रतनसिंह के फौत होने पर आराजियात विरासत में रणजीतसिंह रामसिंह पि० रतनसिंह के नाम रिकार्ड राजस्व में दर्ज हुई। इसके बाद की जमाबंदी खतौनी संख्या 364, 363 प्रदर्श 1, प्रदर्श 2 वाके ग्राम मेहरू सम्वत् 2073-76 तथा खतौनी सं० 118 जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 वाके ग्राम बालापुरा प्रदर्श 4 में आराजियात मुतदाविया रणजीतसिंह रामसिंह पि० रतन सिंह के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 की आराजीयात तो रणजीतसिंह रामसिंह पि० रतनसिंह के नाम दर्ज हो गयी लेकिन प्रदर्श 4 की आराजी दोनों के नाम नहीं आकर अकेले रणजीतसिंह के नाम आई जोकि प्रदर्श 1, 2 की आराजियात नामा० सं० 1568 दि० 3.5.2018 न्यायालय आदेश से डिक्री इजराय द्वारा रणजीतसिंह के हिस्से की आराजीयात, प्रदर्श 4 की नामा० सं० 299 दिनांक 3.5.2018 न्यायालय आदेश से डिक्री इजराय से रणजीत सिंह के हिस्सों की आराजियात प्रतिवादीगण नं० 1 लगा० 3 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। प्रदर्श 1, 2 की आराजीयात में वादी का नाम रामसिंह से जयसिंह तथा प्रदर्श 4 की आराजियात में रामसिंह से जयसिंह एवं हिस्से 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। इकबालिया जवाब दावा व राजीनामा पेश किया है। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते है

अत: वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजियात वर्णित खतौनी संख्या 364, 363 जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 वाके ग्राम मेहरू में रामसिंह पुत्र रतनसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रतनसिंह दुरुस्त किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आराजियात वर्णित खतौनी सं० 118 जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 वाके ग्राम बालापुरा (मेहरू) में

तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	वादी को हिस्से 1/2 तथा प्रतिवादी नं. 1 लगा 3 को प्रत्येक को हिस्से 1/6 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि आराजी बैंक के रहन हो तो संबंधित के हिस्सों पर बैंक ऋण चुकता होने तक रहन का अंकन बदस्तूर रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना 2 वहन करेंगे। तदनुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। हुक्म आज दिनांक 22/8/2019 को विवृत न्यायालय सुनाया गया। (सूरजसिंह नेगी) RAS उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह